दिनाक 01.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–01 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 तस्कर गिरफ्तार, 708.49 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग एक करोड़ सत्तर लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 01–11–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्करों को 708.49 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग एक करोड़ सत्तर लाख रूपये) सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राम पाल निवासी ग्राम नगला बसु, थाना आवगढ़, जनपद एटा।
2– अनिल प्रताप पुत्र योगेन्द्र पाल सिंह निवासी नगला बसु, थाना आवगढ़, जनपद एटा।

गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगीः

1– 708.49 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) (अनुमानित मूल्य लगभग एक करोड़ सत्तर लाख रूपये)
2– 01 अदद 10 टायर एल0पी0 आर0जे0–05–जीए–5171
3– 03 अदद मोबाइल
4– 03 अदद आधार कार्ड
5– 02 अदद डी0एल0
6– 01 अदद निर्वाचन कार्ड
7– 02 अदद ए0टी0एम0 एक्सिस बैंक
8– रू0 630 / – नगद।

गिरफ्तारी का दिनांक / समय व स्थान–

दिनांक 01–11–2020 बजरंग चौकी स्थित सखी हनुमान मन्दिर के सामने, झाँसी कानपुर हाइवे पर थाना नवाबाद, जनपद झाँसी। समय प्रातः 09:05 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से आन्ध्र प्रदेश से लाकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक 10 टायरा एल0पी0 ट्रक आन्ध्र प्रदेश राजमुन्दरी से गांजे की बड़ी खेप लेकर जनपद हाथरस लाया जा रहा है तथा गाँजे की खेप हाथरस में किन्हीं व्यक्तियों को देगा। इस सूचना पर विश्वास करते हुए उ0नि0 करूणेश पाण्डेय के नेतृत्व में मु0आ0 प्रताप नारायन सिंह, मुख्य आरक्षी विनोद सिंह, कान्स0 राजेश पाल, कान्स0 मुकेश प्रजापति, कान्स0 शिव भोला शुक्ला व मु0आ0 चालक प्रमोद कुमार सिंह की एक टीम गठित कर जनपद झाँसी भेजी गयी तथा जनपद झाँसी पहुँचकर स्थानीय पुलिस को सूचना से अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर उपरोक्त 02 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह लोग गांजे की तस्करी का काम काफी दिनों से कर रहे है। यह माल जनपद हाथरस के अनिल चौधरी एवं सतेन्द्र पण्डित का है। वह यह माल आन्ध्र प्रदेश के राजमुन्दरी से लाकर जनपद हाथरस में इन्हीं दोनों को देते हैं। अनिल चौधरी एंव सतेन्द्र यह गाँजे की खेप लेकर जनपद हाथरस एवं उसके आस–पास के जनपदों में अधिक लाभ कमाने के लिए सप्लाई का कार्य करते हैं। इन लोगों को प्रति चक्कर 50,000/— से एक लाख मिलता है, जिसे यह लोग आपस में बाँट लेते हैं। इसी मुनाफे की लालच में वह यह कार्य करते रहते हैं। इस बार माल लेकर अनिल चौधरी एवं सतेन्द्र पण्डित को देने के लिए ला रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

एस0टी0एफ0 द्वारा अनिल चौधरी एवं सतेन्द्र पण्डित की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना नवाबाद जनपद झाँसी में मु0अ0सं0 545/2020 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 तस्कर गिरफ्तार, 290 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग सत्तर लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 01–11–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्करों को 290 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग सत्तर लाख रूपये) सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– सचिन शर्मा पुत्र मुदन लाल नि0 गली नं0–3, राजनगर, थाना किशनपुरा, पानीपत, हरियाणा। हालपता–द्वारा जसवीर, विकासनगर, थाना सेक्टर–29, पानीपत, हरियाणा।
2– हनी उर्फ जतिन पुत्र उमेश नि0 पार्ट–68, बोहर थाना अरबन स्टेट सेक्टर–3, रोहतक, हरियाणा।

गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगीः

1– 290 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) (अनुमानित मूल्य लगभग सत्तर लाख रूपये)
2– 01 अदद कन्टेनर ट्रक नं0 आर0जे0–14–जीजी–4618
3– 02 अदद मोबाइल
4– 01 अदद आधार कार्ड
5– 01 अदद डी0एल0
6– 01 अदद पैन कार्ड
7– 01 अदद ए0टी0एम0 कार्ड
8– रू0 1030/– नगद।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान–

दिनांक 01–11–2020 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2, खागा पूर्वी बाईपास के पास, कोतवाली खागा, जनपद फतेहपुर। समय पूर्वान्ह 11:30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि आन्ध्र प्रदेश व उड़ीसा से पश्चिमी उ0प्र0 एवं पड़ौसी राज्यों में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिरखास द्वारा सूचना मिली कि आन्ध्र प्रदेश से गांजे की बड़ी खेप लेकर एक कन्टेनर ट्रक में छिपा कर अवैध मादक पदार्थ गांजा ले जाया जा रहा है, जो प्रयागराज से कानपुर होते हुए आगरा जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए निरीक्षक श्री अंजनी कुमार तिवारी, निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में मु0आ0 विनोद सिंह, कान्स0 कृष्ण कुमार त्रिपाठी, कान्स0 प्रभाकर पाण्डेय, कान्स0

प्रशान्त सिंह एवं आरक्षी चालक शिववीर की एक टीम गठित कर पतारसी एवं सुरागरसी हेतु जनपद फतेहपुर रवाना की गयी तथा जनपद फतेहपुर पहुँचकर स्थानीय पुलिस को सूचना से अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर उपरोक्त 02 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा तलाशी पर ट्रक कन्टेनर चालक की केबिन में गुप्त स्थान बनाकर 58 पैकेट में उपरोक्त गाँजे की बरामदगी की गयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह लोग गांजे की तस्करी का काम काफी दिनों से कर रहे है। हनी ने बताया कि उसके रिश्तेदारी में भाई लगने वाला गुड़गांव का अरूण कुमार भी हम लोगों से साथ इस धन्धे में लिप्त है। यह लोग आन्ध्र प्रदेश के विशाखपटनम से गाँजा लाकर ऊँची कीमत पर पश्चिमी उ0प्र0 व हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों सप्लाई करते हैं। आज भी माल लेकर आ रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों एवं मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त कन्टेनर उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली खागा, जनपद फतेहपुर में मु0अ0सं0 339/2020 धारा 8,20,29,60(3) एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 294 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रूपये) बरामद।

आज दिनॉकः 01.11.2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 की फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 294 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रूपये) मादक पदार्थ (गॉजा) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1. सतीराम यादव पुत्र बाबू लाल यादव नि0 ग्राम मिठनेपुर, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर, उ0प्र0।
2. तेज बहादुर यादव पुत्र रामअक्षयवर यादव नि0 ग्राम सरईया विरान, थाना कूड़ेभार, जनपद सुलतानपुर, उ0प्र0।

गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगीः—

1— 294 किलाग्राम अवैध मादक पदार्थ (गॉजा)
2— एक अदद ट्रक 10 टायरा नं0—यू0पी 71 टी 4457
3— चार अदद मोबाइल फोन
4— एक अदद आधार कार्ड
5— एक अदद ड्राइविंग लाइसेन्स
6— 4550/— रूपये नकद

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः—</u>

दिनांक 01.11.2020 समय 12:15 बजे, बग्घा नाला तिराहा, थाना क्षेत्र ओबरा, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी, जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ की खेप लेकर कुछ तस्कर जनपद सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में आने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक श्री केशव चन्द्र राय व निरीक्षक श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, पंकज तिवारी व आरक्षी हबीब सिद्दीकी की एक टीम गठित कर कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्रन्तर्गत पहुँचकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान से समय 12:15 बजे दिन उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि इस बरामद गॉजे को ट्रक में चालक के केबिन में बने Special cavity के अन्दर जगदलपुर उडीसा से रमेश माली नामक व्यक्ति ने निरंजनपुर मरहट थाना कुटहन जौनपुर निवासी हनुमान यादव व संतोष यादव के लिए (05 लाख रूपये अग्रिम) के लिए ला रहे थे। यह अवैध गॉजा उडीसा से कम दामों पर खरीदकर हनुमान यादव व संतोष यादव द्वारा वाराणसी व जौनपुर एवं आसपास के जनपदों में फुटकर रूप में ऊँचे दामों पर बेंचा जाता है। गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा स्वयं को चालक व खलासी होना बताया गया तथा इस काम के एवज में प्रति चक्कर 30 से 50 हजार रूपया उनको मिलता है, जिस हेतु वह यह कार्य करते हैं।

बरामद अवैध गॉजे तथा ट्रक को थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र में दाखिल कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 153/2020 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद आगरा/थाना बरहन

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल, 02 मोटरसाइकिल के नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनांक 31.10.2020 की रात्रि थाना थाना बरहन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नगला धौकल बम्बा के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्त सुभाष उर्फ तोतला को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल 02 मोटरसाइकिल के नम्बर प्लेट आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद आगरा, हाथरस के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना बरहन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुभाष उर्फ तोतला निवासी ग्राम बाग बधिक थाना सहपऊ जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।
2–01 मोटरसाइकिल 02 मोटरसाइकिल के नम्बर प्लेट आदि।

जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01.11.2020 को थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आर्यन कान्वेंट एकेडमी कोतवाली रोड के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी देवेन्द्र उर्फ भोलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर लूट, गैगेंस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—देवेन्द्र उर्फ भोलू नि0 बाखरपुर थाना को0 शहर बिजनौर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस

- **लूट की घटना का अनावरण, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रू0 कीमत के आभूषण, लूट के 15,000 रू0 नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि बरामद**

दिनांक 31.10.2020 की सायं थाना हाथरस पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हाथरस क्षेत्र से तीन शातिर अभियुक्तों 1—विनोद 2—देवेन्द्र उर्फ छोटू 3—पुनीत को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 50 हजार रू0 कीमत के आभूषण, सोने की 02 अंगूठी, सोने की 01 जोड़ी कुन्डल, चॉदी की 02 जोड़ी पायल, चॉदी की 31 नगर बिछिया, चॉदी का 01 सिक्का, लूट के 15,000 रू0 नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.10.2020 को थाना हाथरस जक्शन क्षेत्र में र्स्वणकार से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना हाथरस पर अभियोग पंजीकृत कर घटना अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद माल उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना हाथरस पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विनोद निवासी कुंवरजी नगला की झोपड़ी थाना हाथरस जनपद हाथरस।

2–देवेन्द्र उर्फ छोटू नि0 नगला अमरा थाना मुरसान हाथरस।

3–पुनीत नि0 विजय नगर मुरसान गेट थाना कोतवाली नगर हाथरस।

<u>बरामदगी</u>

1– लूट के 50 हजार रू0 कीमत के आभूषण, सोने की 02 अंगूठी, सोने की 01 जोड़ी कुन्डल, चॉदी की 02 जोड़ी पायल, चॉदी की 31 नगर बिछिया, चॉदी का 01 सिक्का।

2– लूट के 15,000 रू0 नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 06 जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल

<u>जनपद अमेठी/थाना जायस</u>

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 लाख 50 हजार रू0 कीमत का 100 ग्राम अवैध स्मैक/हीरोइन बरामद**

दिनांक 01.11.2020 को थाना जायस पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कंचाना शराब ठेके के पास से अभियुक्त नौशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 लाख 50 हजार रू0 कीमत का 100 ग्राम अवैध स्मैक/हीरोइन बरामद हुये।

इस संबंध में थाना जायस पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नौशाद नि0 बड़ा कजियाना थाना जायस अमेठी।

<u>बरामदगी</u>

1–02 लाख 50 हजार रू0 का 100 ग्राम अवैध स्मैक/हीरोइन।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 लाख रू0 कीमत का 30 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 01.11.2020 को थाना सादाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भार्गव कालोनी के पास से तीन अभियुक्तों 1–अशोक 2–जीतू 3–सत्तो उर्फ सत्य प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 लाख रू0 कीमत का 30 किलोग्राम अवैध गांजा व 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस संबंध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अशोक नि0 ग्राम समोगर थाना डौकी जनपद आगरा।
2–जीतू नि0 ग्राम समोगर थाना डौकी जनपद आगरा।
3–सत्तो उर्फ सत्य प्रकाश नि0 ग्राम धनौली थाना मलपुरा जनपद आगरा।

बरामदगी

1– 05 लाख रू0 कीमत का 30 किलोग्राम अवैध गांजा व 01 ट्रक।

––––––